कार्यालय कलेक्टर, जिला – बैतूल

क्र./186/जि0पेंशन कार्या0/विविध/2014/ 187 बैतूल,दिनांक 17.11.2014

प्रति,

समस्त कार्यालय प्रमुख एवं
आहरण संवितरण अधिकारी,
कार्यालय...
जिला बैतूल ।

अत्यावश्यक

विषय :— शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणो का समय सीमा में निराकरण विषयक ।

-----00-----

विषयान्तर्गत लेख है कि बैतूल जिले के अन्तर्गत शासकीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर न होने का मुख्य कारण यह है कि कार्यालय प्रमुखों द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन कार्यालय में 6 माह के अन्दर संपूर्ण प्रकिया पालन कर प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं । कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा पेंशन प्रकरण शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के माह में अथवा उसके बाद प्रस्तुत किये जाते हैं । यह अत्यन्त आपत्तिजनक है । अतः भविष्य में पेंशन प्रकरणो के निराकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है।

1— पेंशन नियमो में निहीत प्रावधानुसार **पेंशन प्रकरण सेवा निवृत्ति तिथि के 6 माह पूर्व** जिला पेंशन कार्यालय में अनिवार्य रूप से नियमानुसार समस्त औपचारीकताएं पूर्ण कर प्रकरण जमा किया जाना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित को सेवानिवृत्ति तिथी पर पी0पी0ओ0 जारी किया जा सकें। यह व्यवस्था भविष्य में भी लागू होगी।

2— **माह मार्च 2015** तक सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारीयों के पेंशन प्रकरण नियमानुसार समस्त औपचारीकताएं पूर्ण कर प्रकरण **दिनांक 30.11.2014** तक जिला पेंशन कार्यालय बैतूल में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जावे।

3— माह नवम्बर 2014 में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारीयों के पेंशन प्रकरण नियमानुसार समस्त औपचारीकताए पूर्ण कर दिनांक 20.11.2014 तक जिला पेंशन कार्यालय बैतूल में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जावे।

4— जिला पेंशन कार्यालय बैतूल में प्रति सोमवार ही पेंशन प्रकरण जमा किये जावेगें तथा प्रारंभिक जांच उपरांत प्रकरण प्राप्त किये जावेंगे । कार्यालय प्रमुख पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित शासकीय सेवक को उसकी सेवा अवधि के लिए भुगतान किये जाने वाले संपूर्ण स्वत्वों का भुगतान किया जा चुका है । एक बार जिला पेंशन कार्यालय में पेंशन प्रकरण प्राप्त किये जाने के उपरांत अंकेक्षण होने तक सेवापुस्तिका वापस की जाना संभव नही होगा ।

5— जिला पेंशन कार्यालय में प्रकरण जमा करने हेतु आपके कार्यालय से एक जिम्मेदार कर्मचारी जो कि लेखा कार्य का जानकारी हो, को अधिकृत किया जावें तथा फोटो युक्त प्राधिकृत पत्र जिला पेंशन कार्यालय बैतूल में जमा किया जावें।

उपरोक्त निर्देशो का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें । यदि समय सीमा में पेंशन प्रकरणों का निराकरण नहीं होता है तो संबंधित कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी तय की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

कलेक्टर
बैतूल